न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

बजरंग सिंह बनाम ... दाना ... (2028)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिये जाने से प्रारम्भिक डिक्री ... पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी ... जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः ... प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गईं। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 08.12.2022 को पेश हो।
	(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
08.12.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने ... किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा ... जारी हो। पत्रावली ... दफ्तर हो। निर्णय ...
	Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.12.13 12:29:29 IST Reason: SelfAttested
	08/12/22 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
128 / 2008	2008 / 097	04.06.2008	08.12.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान

बजरंगसिंह पुत्र स्व0 श्री रघुवीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुढ़ा (महरोली) तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)।

(वादी)

बनाम

1. **रघुवीर सिंह पुत्र रूड़सिंह (मृत्तक)**

1/1 श्रीमती भँवर कँवर उर्फ संतोष कंवर पुत्री स्व0 रघुवीर सिंह पत्नी विक्रमसिंह, जाति राजपूत, हाल निवासी–बरनेल जिला नागौर (राज.)।

2. **भँवरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह (मृत्तक)**

2/1 श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी स्व0 भँवरसिंह उम्र–60 साल

2/2 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भँवरसिंह उम्र–40 साल

2/3 दलीपसिंह पुत्र स्व0 भँवरसिंह उम्र–38 साल

2/4 औम कँवर पुत्री स्व0 भँवरसिंह उम्र–35 साल

जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 7, ग्राम गुढ़ा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. **बहादुरसिंह पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह –(मृत्तक)**

3/1 श्रीमती पप्पू कँवर पत्नी बहादुर सिंह

3/2 बबलेश कँवर पुत्री बहादुर सिंह

3/3 मोनिका कँवर पुत्री बहादुर सिंह

3/4 विजेता कँवर पुत्री बहादुर सिंह

3/5 विश्वप्रताप सिंह पुत्र बहादुर सिंह ... जरिये संरक्षक माता श्रीमती पप्पू कँवर

4. रामकिशन सिंह पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

5. जयपालसिंह उर्फ जगमहेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढ़ा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. उप पंजीयक, श्रीमाधोपुर जिला–सीकर, (राज.)।

7. पटवार हल्का जैतुसर, तहसील श्रीमाधोपुर,

8. पटवार हल्का महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर,।

9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।

10. सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जरिये मैनेजर।

11. ग्रामीण शेखावाटी बैंक महरोली सीकर जरिये मैनेजर।

12. बैंक आफॅ बड़ौदा श्रीमाधोपुर जरिये मैनेजर।

13. रामकिशोर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी पीरों का बास महरोलीश्रीमाधोपुर

14. मांगूसिंह पुत्र नारायण सिंह

15. मदनसिंह पुत्र नारायण सिंह

16. महावीरसिंह पुत्र नारायण सिंह

17. रामवीरसिंह पुत्र नारायण सिंह

18. गोरधनसिंह पुत्र लादू सिंह

19. राजेन्द्रसिंह पुत्र अमर सिंह

20. मूलसिंह पुत्र अमर सिंह

21. भॅंवरसिंह पुत्र धीर सिंह

22. मालसिंह पुत्र धीर सिंह

23. बजरंगसिंह पुत्र धीर सिंह

24. मूलसिंह पुत्र धीर सिंह

25. श्यौपालसिंह पुत्र धीर सिंह

26. विरेन्द्र सिंह पुत्र रिद्धसिंह उर्फ रिछपालसिंह

27. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रिद्धसिंह उर्फ रिछपालसिंह

28. रामसिंह पुत्र रिद्धसिंह उर्फ रिछपालसिंह

29. समरथसिंह पुत्र रिद्धसिंह उर्फ रिछपालसिंह

30. जितेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह

31. विकम सिंह पुत्र मूल सिंह

32. धर्मपाल सिंह पुत्र मूल सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

33. मु0 प्रेम कंवर बैवा मूल सिंह (फौत)

34. किशोर सिंह पुत्र बन्ने सिंह

35. दशरथ सिंह पुत्र बन्ने सिंह

जाति राजपूत निवासी गुढ़ा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर।

36. फूलचन्द पुत्र रूड़ाराम —मृतक

36/1 नानछी पत्नी स्व0 फूलचन्द

36/2 गुलाबी पुत्री स्व0 फूलचन्द

36/3 कमला पुत्री स्व0 फूलचन्द

36/4 संतोष पुत्री स्व0 फूलचन्द

36/5 महेन्द्र पुत्र स्व0 फूलचन्द

36/6 श्रीराम पुत्र स्व0 फूलचन्द

37. मालीराम पुत्र रूड़ाराम

38. मोहरी पत्नि नानूराम

जाति जाट निवासी गुढ़ा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, वादी अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक।
श्री गिरीराज शर्मा, प्रतिवादी नं. 36/1 से 36/6 व 38 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 9

<u>वादपत्र बाबत तकास्मा, ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 1105, 1106, 1118, 1119, 1611 कुल किता 5 कुल रकबा 3.30 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि तन् ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला–सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(राज.) में स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 1757 रक्बा 3.26 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा की एंव खसरा नम्बर 1599, 1600, 1601, 1610 कुल किता 4 कुल रकबा 2.40 हैक्टर में से 1/6 हिस्से की एंव खसरा नम्बर 1824 लगायत 1827 कुल किता 4 कुल रकबा 2.30 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज चली आ रही है तथा इसी प्रकार ग्राम गुढ़ा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित खसरा नम्बर 3042 रकबा 0.19 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि की व खसरा नम्बर 2978 रकबा 3.51 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज उक्त खातेदारी के अलावा बकिया बची भूमियों की खातेदारी सह खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 13 लगायत 38 व मृत्तकगण अमरसिंह व मूलसिंह के नाम दर्ज है। वादी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 व 14 ता 35 एक ही परिवार के लोग है जिनमें वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 सगे भाई व प्रतिवादी नम्बर 1 वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 का जन्मदाता पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 इस समय 80 साल से अधिक उम्र का काफी बुढ़ा हो गया है। उक्त वर्णित भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5, 14 ता 35 की मौरूसी भूमियॉं है। अर्सा करीब 20 साल पहले प्रतिवादी नम्बर 1 ने स्वेच्छा से भूमि अपने नाम दर्ज भूमियों को बाहमी पारिवारिक समझौता के तहत अपने पुत्रों वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 के बीच भूमियों के उतार चढ़ाव व अच्छी बुरी के हिसाब से समान वैल्यूऐशन के आधार पर अलग–अलग बांटकर सम्भला दी थी। जिसके मुताबिक ग्राम महरोली के भूमि खसरा नम्बर 1599 से 1601, 1610 में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा रकबा 0.40 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा वादी को एंव शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 भॅंवरसिंह के हिस्सा में तथा भूमि खसरा नम्बर 1824 से 1827 में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा 0.76 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा की भूमि वादी के हिस्सा में व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 भॅंवरसिंह के हिस्सा में तथा ग्राम गुढ़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3042 रकबा 0.19 हैक्टर सम्पूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 2978 रकबा 3.51 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 रकबा 0.88 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्से भाई बंट में आई हुई है। इस प्रकार ग्राम महरोली के खसरा नम्बर 1757 रकबा 3.26 हैक्टर में प्रतिवादी नं.1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा रकबा 0.41 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 भॅंवरसिंह के हिस्सा में आई है तथा भूमि खसरा नम्बर 1105, 1106, 1118, 1119, 1611 कुल किता 5 कुल रकबा 3.30 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इसमें बना ट्यूबवैल, मय विधुत कनेक्शन प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 5 के हिस्सा में बहिस्सा बराबर आई है। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 ने पक्के मकान भी बना रखे है। वादी अपने हिस्सा व भाई बंट में आई भूमियों पर अर्सा 20 साल से तन्हा व अकेला काबिज काश्त करता चला आ रहा है। भूमियों को समतल, उपजाउ व सिंचित चाही बनाने में वादी ने लाखों रूपये खर्चा कर दिया है तथा महरोली की भूमि खसरा नम्बर 1824 से 1827 में अपने हिस्से की भूमि में वादी ने स्वंय ने पक्के मकान बना रखे है। पशुओं के लिए मकान बना रखे है, पोल्ट्री फॉर्म बना रखा है व अलग स्वंय ट्यूबवेल बनाकर कनेक्शन ले रखा है। इसके अलावा भूमि खसरा नम्बर 1824 से 1827 में पुराना कुआं जो खसरा नम्बर 1826 वादी के हिस्सा भाई बंट में आया हुआ है में पानी सुखने के बाद वादी नया ट्यूबवैल बनाकर जमीनों की अकेला सिंचाई करता चला आ रहा हैं। जिससे प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। उक्त भूमियॉं मौरूसी है जिनमें वादी को काननून हक हिस्सा अनुसार भूमियों का विधिक बंटवरा कराने व खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। अगर भूमियों का कानूनी विभाजन नहीं हुआ तो प्रतिवादीगण बाला–बाला प्रतिवादी नं. 1 से फर्जी व नुमाईशी हकत्याग लेख, दान, वसीयत या विकयलेख आदि कराकर खातेदारी करा लेगें जिससे वादी के हक हकूक जायल होगें व इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यावश्यक व न्यायोचित है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राजीनामा प्रस्तुत दिनांक 13.10.2020 जो दिनांक 20.10.2020 को तस्दीक किया गया है एंव दिनांक 03.03.2022 के अनुसार निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें:– कि तकास्मा की डिक्री प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.10.2020 के अनुसार इस आशय की पारित की जावें कि ग्राम महरोली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1757/4 रकबा 0.41 हैक्टर के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 भॅवरसिंह के वारिसान् 2/1 से 2/4 के एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से एंव ग्राम गुढा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3042 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि अकेले वादी बजरंगसिंह पुत्र रघुवीर सिंह के कब्जा काश्त व हक हिस्सा में आने से एंव ग्राम गुढा के कृषि भूमि खसरा नम्बर ... रकबा 3.51 हैक्टर जिसमें 1/4 हिस्सा अर्थात 0.8775 हैक्टर की खातेदारी रघुवीर सिंह पुत्र रूडसिंह के नाम दर्ज है में से 0.5800 हैक्टर वादी बजरंगसिंह पुत्र रघुवीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

काश्त में आने से एंव बाकी रकबा 0.2975 हैक्टर भूमि में से 0.0595 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान् 2/1 से 2/4, 0.0595 हैक्टर वादी बजरंगसिंह, 0.0595 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशन सिंह, 0.0595 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 जगमहेन्द्र सिंह एंव 0.0595 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3/1 एंव 3/5 विश्वप्रताप सिंह पुत्र स्व0 बहादुरसिंह व पप्पू कँवर पत्नी स्व. बहादुरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी हुई होने से एंव ग्राम महरोली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1824/1, 1827/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 हैक्टर में से 0.1775 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान् 2/1 से 2/4 एंव 0.19 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह एंव 0.3261 हैक्टर वादी बजरंगसिंह पुत्र रघुवीरसिंह एंव 0.0414 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 जगमहेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह एंव 0.0250 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3/1 एंव 3/5 विश्वप्रताप सिंह पुत्र स्व0 बहादुरसिंह पौत्र स्व0 रघुवीरसिंह व पप्पू कँवर पत्नी स्व0 बहादुरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से एंव ग्राम महरोली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.0200 हैक्टर जिसमें 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण अकेले प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से एंव ग्राम महरोली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.3700 हैक्टर में से 0.0819 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 जगमहेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह एंव 0.0616 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 रामकिशन सिंह पुत्र रघुवीरसिंह एंव 0.0741 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान् 2/1 से 2/4 के एंव 0.0985 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3/1 एंव 3/5 विश्वप्रतापसिंह पुत्र स्व0 बहादुरसिंह व पप्पू कँवर पत्नी स्व0 बहादुरसिंह एंव 0.0539 हैक्टर वादी बजरंगसिंह पुत्र रघुवीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में एंव ग्राम छिलावाली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1599, 1600, 1601 कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 हैक्टर जिसमें 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.39667 हैक्टर उत्तरी पूर्वी भाग की भूमि मृत्तक रघुवीरसिंह पुत्र रूड़सिंह के वारिसान् के काबिज काश्त में चले आ रहे है जिसमें से 0.09 हैक्टर भूमि वादी बजरंगसिंह पुत्र रघुवीर सिंह एंव 0.03 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह [illegible] काश्त में आने से एंव बाकी रकबा 0.27667 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा [illegible] हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 भँवरसिंह के वारिसान् 2/1 से 2/4 [illegible] हिस्सा अर्थात् 0.13834 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशन सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से एंव ग्राम छिलावाली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1105, 1106, 1118, 1119 कुल किता 4 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रकबा 2.9300 हैक्टर में 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.9766 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3/1 एंव 3/5 विश्वप्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह पौत्र रघुवीरसिंह व पप्पू कंवर पत्नी स्व0 बहादुरसिंह एंव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 जगमहेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह एंव 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.4883 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 रामकिशन सिंह पुत्र रघुवीरसिंह एंव 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान् के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से इसी अनुसार काबिज काश्त होकर एंव आबाद होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान् 2/1 से 2/4 एंव प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/5 एंव प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अलग-अलग दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। ग्राम छीलावाली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1105, 1106, 1118, 1119 कुल किता 4 कुल रकबा 2.93 हैक्टर में पुराना कुंआ की भूमि से 8 फुट चौड़ाई का रास्ता सभी पक्षकारों की हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों में आवागमन व साधन ले जाने के लिए कायम रहने तथा ग्राम महरोली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1824/1, 1827/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 5 जगमहेन्द्र के मकान की जो 57 फुट लम्बाई है उससे आगे मैन रोड़ से वादी बजरंगसिंह के मकान तक 10 फुट चौड़ाई का रास्ता आपसी सहमति से आवागमन एंव साधन लाने ले जाने के लिए कायम किया हुआ है।

तकास्मा की डिक्री प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.03.2022 के अनुसार इस आशय की पारित की जावें कि प्रतिवादी संख्या 36, 37, 38 को भूमि खसरा नम्बर 1599 से 1601 ग्राम छिल्यावाली व खसरा नम्बर 1610 ग्राम महरोली में खातेदारी के अनुरूप बंटवारें में कुल फ्रन्टेज जो खसरा नम्बर 1600 का मुख्य सड़क है पर के दक्षिणी भाग जो कुल फ्रन्टेज का 1/2 हिस्सा है वह 1.19 हैक्टर जितना रहेगा तथा उस अनुसार बंटवारे में कानूनी रूप से देकर इनके नाम राजस्व रिकार्ड बना दिये जाने बाबत वादी ने सहमति प्रदान की है। खसरा नम्बर 1610 ग्राम महरोली में 0.02 हैक्टर यथावत 1/2 हिस्सा रहेगा व जो प्रतिवादीगण संख्या 36 से 38 का है व वादी को खसरा नम्बर 1600 में उत्तरी तरफ की भूमि हिस्से अनुसार प्रदान करने बाबत प्रतिवादीगण संख्या 36 से 38 को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया है। पक्षकारान् संलग्न नक्शे अनुसार वैधानिक बंटवारा करवाना चाहते है जिसके अनुसार वादी व रघुवीर सिंह के वारिसों प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक में भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1601 व 1600 से उत्तर-पूर्वी दिशा की रहने जिसकी उत्तरी व दक्षिणी भुजा 130 मीटर व पूर्वी-पश्चिमी भुजा 31 मीटर होने जो पूर्वी दिशा सड़क की तरफ से शुरू होने व उक्त खसरा नम्बर 1600 में दक्षिणी दिशा के रास्ते की तरफ से पूर्वी फन्टेज का 1/2 भाग पश्चिमी सीमा तक सीधाई में प्रतिवादी नं. 36 से 38 के नाम नक्शे अनुसार करने तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे व रिकार्ड में तरमीम करने व खसरा नम्बर 1610 कम भूमि रहने के कारण यथावत रखने का निवेदन वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 2 के वारिसान 2/1 से 2/4 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी एड0 व प्रतिवादी संख्या 34 व 35 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 36 व 38 के वारिसान् व 37 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा एड0 उपस्थित आयें। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 2, 3/1, 4, 5, 36 व 38 के वारिसान् की ओर से दो पृथक-पृथक राजीनामे दिनांक 20.10.2020 एंव 03.03.2022 को न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराये गये है। शेष प्रतिवादीगण की सम्मन नोटिस तामील साधारण तरीके से एंव जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामिल हो जाने के बावजूद आज दिवस तक उपस्थित हाजिर अदालत नहीं आने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के द्वारा प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त किये जाने पर मफुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादी ने बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर ... में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.03.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.03.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान

08/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 08.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 339/रीडर/2022 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 2142/भू.अ./2022 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर प्रकरण में प्रतिवादीगण मालीराम पुत्र रूड़ाराम, मोहरी पत्नी नानूराम, नानछी देवी पत्नी फूलचन्द, महेन्द्र, श्रीराम पुत्रगण फूलचन्द जाति जाट निवासी गुढ़ा जैतुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री गिरीराज शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है उनमें प्रार्थीगण के खाता संख्या 128 में खसरा नम्बर 1600/4 रकबा 1.1900 हैक्टर किस्म बारानी–3 में जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा खातेदारी अनुसार इनका सही हिस्सा दर्ज नहीं किया जाकर सहवन से गलत अंकित कर दिये जाने बाबत अंकित किया है। जिसमें जमाबन्दी के अनुसार नानूराम पुत्र कालूराम हिस्सा 1/4, फूलचन्द पुत्र रूड़ाराम हिस्सा 1/5, मालीराम पुत्र रूड़ाराम हिस्सा 1/20 दर्ज होना अंकित किया है। जिसमें मृत्तक नानूराम पुत्र कालूराम की वारिस प्रतिवादिया मोहरी पत्नी नानूराम एंव मृत्तक फूलचन्द पुत्र रूड़ाराम के वारिसान प्रतिवादीगण क्रमशः नानछी देवी [illegible] गुलाबी, कमला संतोष पुत्रियाँ होने तथा जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा [illegible] रूड़ाराम के दर्ज हिस्सा 1/20 में भूमि रकबा 0.1[illegible] नानूराम के 1/4 हिस्सा में भूमि रकबा 0.5950 हैक्टर एंव नानछी देवी पत्नी फूलचन्द, गुलाबी, कमला, सन्तोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पुत्रीयाँ फूलचन्द, महेन्द्र, श्रीराम पुत्रगण फूलचन्द के 1/5 हिस्सा में भूमि रकबा 0.4760 हैक्टर आने से विभाजन प्रस्ताव में इसी अनुसार शुद्धि करवाते हुए राजस्व ग्राम छिलावाली के खाता संख्या 128 में खसरा नम्बर 1600/4 रकबा 1.1900 किस्म बारानी–3 में मालीराम पुत्र रूड़ाराम हिस्सा 1/10, मोहरी पत्नी नानूराम के 1/2 हिस्सा, नानछी देवी पत्नी फूलचन्द हिस्सा 1/15, गुलाबी पुत्री फूलचन्द हिस्सा 1/15, कमला पुत्री फूलचन्द हिस्सा 1/15, सन्तोष पुत्री फूलचन्द हिस्सा 1/15, महेन्द्र पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/15 एंव श्रीराम पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/15 जाति जाट सां. गुढ़ा तन् जैतुसर शुद्ध कर दर्ज किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। जिसकी नकल वकील वादी को दिलाई जाने पर वकील वादी ने उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव में संशोधन किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। इसके साथ ही वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपने हिस्से में आने वाली भूमियों को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार भूमि का विभाजन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण श्री शर्मा को दिलाई जाने पर नजरी नक्शा अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

वकील वादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामें हो जाने तथा अन्य पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण के सहमत होने से, बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री गिरीराज शर्मा एड0 ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी व पक्षकार के ... एंव वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण ... अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 28.07.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

मौके के अनुसार बटवारा :– 1 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	128	मालीराम पुत्र रूड़ाराम हिस्सा 1/10, मोहरी पत्नी नानूराम के 1/2 हिस्सा, नानछी देवी पत्नी फूलचन्द हिस्सा 1/15, गुलाबी पुत्री फूलचन्द हिस्सा 1/15, कमला पुत्री फूलचन्द हिस्सा 1/15, सन्तोष पुत्री फूलचन्द हिस्सा 1/15, महेन्द्र पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/15 एंव श्रीराम पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/15 जाति जाट सा. गुढ़ा तन् जेतुसर	1600/4	1.1900	बारानी3	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 2 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	128	रामकिशन सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 16834/30667, [illegible] कंवर पत्नी भंवरसिंह नरेन्द्र सिंह दलिपसिंह पुत्र भंवरसिंह [illegible] कंवर पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 13833/30667 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1600/2	0.306	बारानी3	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मौके के अनुसार बटवारा :– 3 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1	128	बजरंगसिंह पुत्र रघुवरसिंह जाति राजपूत सा. देह	1600 / 3	0.0900	बारानी3	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 4 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	128	राजेन्द्रसिंह मूलसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/3 बजरंगसिंह भंवरसिंह मूलसिंह मालसिंह श्योपालसिंह पुत्र धीरसिंह हिस्सा 1/3 रामसिंह समर्थसिंह सुरेन्द्रसिंह विरेन्द्रसिंह पुत्रगण रिद्धसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा. देह	1599 1601 1600 / 1 कुल किता 3	0.1300 0.0500 0.61333 कुल रकबा 0.79333	बारानी3 बारानी3 बारानी3	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 5 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	188	रामकिशनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत सा. देह	1105 / 1	0.4850	बारानी2	नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

मौके के अनुसार बटवारा :– 6 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	188	जयपालसिंह उर्फ जगमहेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत सा. देह	1105 / 2 1106 / 1 1106 / 3 कुल किता [illegible]	0.6180 0.2250 0.1270 कुल रकबा [illegible]	बारानी2 चाही2 चाही2	नियमानुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मौके के अनुसार बटवारा :– 7 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क्र.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	188	निर्मला कंवर पत्नी भंवरसिंह, नरेन्द्र ,सिंह, दलीप सिंह, पि. भंवरसिंह, ओमकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत सा. देह	1119/1 1106/4 1105/3 कुल किता–3	0.4725 0.0055 0.0070 कुल रकबा 0.4850	चाही2 बारानी2 बारानी2	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 8 राजस्व ग्राम –छिल्यावाली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1	188	पप्पू कंवर पत्नी बहादुरसिंह, विश्वप्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत सा. देह	1118 1119/3 कुल किता–2	0.0400 0.93 कुल रकबा 0.9700	चाही2 चाही2	नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मौके के अनुसार बटवारा :– 9 राजस्व ग्राम छिल्यावाली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	188	रामकिशनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 1/6 जयपालसिंह उर्फ जगमहेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 1/3 निर्मला कंवर पत्नी भंवरसिंह, नरेन्द्र सिंह दलीपसिंह पि. भंवरसिंह, ओम कंवर पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 1/6 पप्पू कंवर पत्नी बहादुरसिंह विश्वप्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा. गुढा तन जैतुसर	1106/2 1119/2 कुल किता–2	0.0125 0.0075 कुल रकबा 0.0200	बारानी2 बारानी2	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मौके के अनुसार बटवारा :– 1राजस्व ग्राम –महरोली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1	459	राम किशन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत सा. देह	1757/4/1	0.2050	बारानी3	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 2 राजस्व ग्राम –महरोली

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	459	निर्मला कंवर पत्नी भंवरसिंह, नरेन्द्र सिंह दलीप सिंह पि. भंवरसिंह, ओम कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत सा. देह	1757/4/2	0.2050	बारानी3	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 3 राजस्व ग्राम –महरोली

क. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	261	रामकिशनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत शेष हिस्सा 5/6 बदस्तुर सा. जमाबंदी	1610	0.02	बारानी3	नियमानुसार

मौके के अनुसार बटवारा :– 4 राजस्व ग्राम –महरोली

क. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	455	निर्मला कंवर पत्नी भंवरिसिंह, नरेन्द्रसिंह, दलीप सिंह पि. भंवर सिंह, ओमकंवर पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 1775/7600, रामकिशन सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 1900/7600 बजरंगसिंह पुत्र	1824/1 1827 [illegible] कुल किता 2	0.3000 [illegible]600 रकबा 0.7600	बारानी2 चाही1	नियमानुसार

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

	रघुवीरसिंह हिस्सा 3261/7600 जयपाल सिंह उर्फ जग महेन्द्र सिंह पुत्री रघुवीर सिंह हिस्सा 414/7600 पप्पू कंवर पत्नी बहादुरसिंह, विश्वप्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा 250/7600 जाति राजपूत				

मौके के अनुसार बटवारा :– 5 राजस्व ग्राम –महरोली

क. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	454	जयपाल सिंह उर्फ जगमहेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 819/3700 रामकिशनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 616/3700 निर्मला कंवर पत्नी भंवरसिंह, नरेन्द्र सिंह दलीपसिंह पि. भंवरसिंह, ओम कंवर पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 741/3700, पप्पू कंवर पत्नी बहादुरसिंह, विश्व प्रताप सिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा 985/3700 बजरंग सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हिस्सा 539/3700 जाति राजपूत सा. देह	1611	0.3700	बारानी3	नियमानुसार

अतः उपरोक्तानुसार ... किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2142/भू.अ. /2022 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

08/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। ग्राम महरोली के खसरा नम्बर 1824/1 में माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश श्रीमाधोपुर का सिविल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 23/2021 उनवानी मंजू बगड़िया बनाम निर्मल कंवर वगैरा में 80X40 फिट उत्तर–दक्षिण की भूमि पर विक्रय, निर्माण व कब्जे के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश जारी किये गये है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर 1824/1 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय/आदेश के अधीन उक्त निर्णय रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

08/12/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/12/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:29:29 IST
Reason: SelfAttested